भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3267

20 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

पीएमएवाई-यू के तहत निर्मित मकान

3267. श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमाः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत इसकी शुरुआत के बाद से निर्मित कुल मकानों की संख्या गुजरात सहित पूरे देश में कितनी है;

(ख) गुजरात में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन में सर्वाधिक प्रभावी रहे राज्यों के नाम क्या हैं तथा इसके विशिष्ट कारण, यदि कोई हों, क्या हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय गुजरात राज्य सहित देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रयासों में सहायता कर रहा है। स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना इस योजना अवधि को 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

पीएमएवाई-यू के तहत, परियोजनाओं का निरूपण और क्रियान्वयन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा किया जाता है। यह देखा गया है कि अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, नागालैंड, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में निर्माण कार्यों की पूर्णता दरें अन्य राज्यों की तुलना में अधिक हैं। हालांकि, कार्यान्वयन एजेंसियों को कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें बाधा-मुक्त

भूमि की अनुपलब्धता, लाभार्थियों की अनिच्छा, वैधानिक मंजूरी/अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने में देरी, राज्य/यूटी/यूएलबी द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान आदि शामिल हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा गुजरात के लिए 10.05 लाख सहित कुल 118.64 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 13.03.2025 तक गुजरात के लिए 9.40 लाख सहित 90.60 लाख आवास पूरे हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव और सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन का शुभारंभ किया है, ताकि चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र शहरी लाभार्थियों की सहायता की जा सके। आज तक, गुजरात सहित 30 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पीएमएवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित करने के लिए सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं। पीएमएवाई-यू 2.0 के संचालन दिशानिर्देश 17.09.2024 को जारी किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए एकीकृत वेब पोर्टल और संचालन दिशानिर्देश https://pmay-urban.gov.in पर देखे जा सकते हैं। पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत गुजरात राज्य के लिए 50,000 आवासों सहित 6.75 लाख से अधिक आवासों के आबंटन के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया गया है।

*****